बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन सं० – 04/2019

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों पर टेन्योर के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–2401 दिनांक–18.07.2007 के तहत् टेन्योर के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण के निमित्त **Walk-in-counselling** का आयोजन किया जा रहा है।

(क) टेन्योर पद पर नियुक्ति हेतु मापदंड/शर्तें:–

जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों पर यह नियुक्ति 01 (एक) वर्ष तक की टेन्योर अवधि के लिए की जाएगी।

- **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता** :– भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त एम०बी०बी०एस० डिग्री। पी०जी० डिग्री/डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- राज्य स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत नियमित चिकित्सक आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

(ख) उम्र सीमा (01.08.2019 को अधिकतम) –

कोटि	सहायक प्राध्यापक
अनारक्षित(पुरूष)	37वर्ष
अनारक्षित(महिला),	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	42 वर्ष

(ग) मानदेय :–जूनियर रेजिडेन्ट – पी०बी०–02 (9300–34800) ग्रेड पे–5400/ **Level–09**

(घ) (i) टेन्योर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएँगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

(ii) आवेदक **counselling** के समय अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं आवश्यकतानुसार **अग्रसारण** अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(ङ) उपरोक्त चयन हेतु **Walk-in-counselling** का आयोजन की तिथि एवं स्थल से संबंधित सूचना बाद में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी एवं ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(च) चयन का आधार मेधा क्रमांक होगा जो विभिन्न मापदंडों के अनुसार प्राप्त अंक, उत्तीर्णता का वर्ष एवं आयु के आधार पर तैयार होगा।

(छ) उक्त पैनल की वैधता एक वर्ष होगी।

(ज) चयनोपरांत पदस्थापन संबंधी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) **काउंसलिंग** हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ञ) विस्तृत विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग के **वेबसाईट** *www.health.bih.nic.in* के Recruitment Section पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

(ट) रिक्तियों की सूची निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	कोटि	रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष
1	अनारक्षित	418	145	273
2	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	215	76	139
3	पिछड़ा वर्ग	133	42	91
4	अनुसूचित जाति	180	63	117
5	अनुसूचित जन जाति	14	00	14
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	100	31	69
7	पिछड़े वर्ग की महिला	35	00	35
	कुल — 1095			

नोट :— (1) स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या— 17

(2) विकलांग उम्मीदवारों के लिए (4%) आरक्षित कुल पदों की संख्या—41

(3) रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है।

889 (17)
24/10/19

17/10/19.

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार